

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
शुक्रवार, 02 मई, 1997/ वैशाख 12, 1919 §शक§

संख्या : 326

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, मध्य जिला, दिल्ली का दिनांक 30-04-1997 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री कीर्ति आज़ाद को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 30-04-1997 को अपराहन 2.30 बजे राजघाट क्रॉसिंग से नज़रबंद किया गया तथा वहां से उन्हें पुलिस थाना दरिया गंज, दिल्ली ले जाया गया। उन्हें 30-04-1997 को अपराहन 2.40 बजे रिहा कर दिया गया।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, May 02, 1997/ Baishak 12, 1919 (Saka)

No.326

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 30.4.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Kirti Azad, Member of Legislative Assembly Delhi was detained u/s 65, D.P. Act, 1978 on 30.04.1997 at 2.30 P.M. for not obeying the lawful direction of Police Officer at Rajghat Crossing and was removed to P.S. Darya Ganj, Delhi. He was released on 30.4.97 at 2.40 P.M."

P.N. GIJTA
SECRETARY